प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला – भ्र.नि.ब्यूरो (एस.यू.) जोधपुर थाना – प्र. आ. केन्द्र भ्र. नि. ब्यूरो, जयपुर

   प्र. ई. रि. स. – 101/2023 दिनांक – 29/4/2023

2. (अ) अधिनियम – भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धाराये – 7

   (ब) अधिनियम – ..... धाराये – .....

   (स) अधिनियम – ..... धाराये – .....

   (द) अन्य अधिनियम – ..... धाराये – .....

3. अ. रोजनामचा आम रपट संख्या – 531 समय – 6:00 P.M.

   ब. अपराध के घटने का दिन – शुक्रवार, दिनांक – 28.04.2023 समय – 07.13 पी.एम.

   स. कार्यालय पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 28.04.2023 समय – 01.30 पी.एम.

4. सूचना की किस्म – लिखित/मौखिक – टाईपशुदा।

5. घटना स्थल –

   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – बरूख पूर्व 1 किलोमीटर लगभग

   (ब) पताः– पुलिस थाना रातानाडा, पुलिस आयुक्तालय जोधपुर

   बीट संख्या जरायमदेही संख्या

   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं तो

   पुलिस थाना ..... जिला .....

6. परिवादी/सह परिवादी का नाम

   1. (अ) नाम – श्री सुनील कुमार (ब) पिता/पति/अभिभावक का नाम – श्री सुरेश कुमार

      (स) जन्म तिथि/वर्ष – 32 वर्ष (द) राष्ट्रीयता – भारतीय

      (य) व्यवसाय – होटल का काम (र) पता – 405 श्री नवल नगर रातानाडा जोधपुर

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियो सहित–

   1. श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री कृपाराम खटीक जाति खटीक उम्र 57 वर्ष निवासी खटीकों का बास पोकरण, पुलिस थाना पोकरण जिला जैसलमेर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना रातानाडा, पुलिस आयुक्तालय जोधपुर

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– कुछ नही

9. चुराई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां – शुन्य

10. चुराई हुई लिप्त सम्पतियां का कुल मुल्य :– **रिश्वत राशि 8,000/– रू.**

11. पंचनामा/यूडी केस संख्या (अगर कोई हो तो)..... कोई नहीं.....

12. विषय वस्तु प्रथम इतला रिपोर्ट.....

सेवा में,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों
(स्पेशल यूनिट) जोधपुर

विषयः– मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करनें बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं सुनिल कुमार पुत्र श्री सुरेश कुमार उम्र 32 साल निवासी 405 श्री नवल नगर रातानाडा जोधपुर का रहने वाला हूं। कुछ रोज पहले मेरे व मेरे लिव इन रिलेशनशीप साथी श्रीमती पिंकी प्रजापत के विरूद्ध श्री ओमप्रकाश जाति प्रजापत निवासी हनुमान नगर झालामंड जोधपुर ने पुलिस थाना रातानाडा में एक रिपोर्ट मारपीट से सम्बन्धित दर्ज करायी। उसी रोज मुझे रातानाडा थाने पर पदस्थापित श्री जगदीश प्रसाद सहायक उप निरीक्षक पुलिस ने थाने पर बुलाया व मुझसे 10 हजार रूपये खर्चे पानी के रूप में रिश्वत की मांग की एवं कहां कि पैसो की व्यवस्था करके थाने आ जाओ तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट में मदद कर दूंगा। श्रीमानजी आज श्री जगदीश प्रसाद सहायक उप निरीक्षक पुलिस द्वारा मेरी लिव इन रिलेशन पत्नी श्री पिंकी को फोन करके कहां कि तुम्हारे सुनील कुमार को पैसो की व्यवस्था कराकर थाने भेज दो व साथ में फोटो व आधार कार्ड भी भेजना। श्रीमानजी श्री जगदीश प्रसाद सहायक उप निरीक्षक पुलिस पुलिस थाना रातानाडा हमारे विरूद्ध दर्ज रिपोर्ट पर मदद के नाम पर मुझसे रिश्वत लेना चाहता है एवं 10,000 रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है। मेरे विरूद्ध दर्ज झुठे प्रकरण में कानूनी कार्यवाही के लिये मैं श्री जगदीश प्रसाद सहायक उप निरीक्षक पुलिस को रिश्वत के 10000/- रूपये नही देना चाहता हूँ, तथा रिश्वत लेते श्री जगदीश प्रसाद सहायक उप निरीक्षक पुलिस को रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ। मेरा श्री जगदीश प्रसाद सहायक उप निरीक्षक पुलिस के साथ किसी प्रकार का लेन–देन बकाया नही हैं, ना ही श्री जगदीश प्रसाद सहायक उप निरीक्षक पुलिस से मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी हैं। अतः रिपोर्ट पेश कर रहा हू कानूनी कार्यवाही करावें। मेरे विरूद्ध दर्ज रिपोर्ट की प्रति मेरे पास नहीं है।

दिनांक 28.04.2023

संलग्नः– फोटोप्रति आधार कार्ड की प्रति

भवदीय,

एसडी/
(सुनिल कुमार)
(सुनिल कुमार पुत्र श्री सुरेश कुमार)
उम्र 32 साल निवासी 405 श्री नवल नगर
रातानाडा जोधपुर
8529943679

एसडी/
(महावीर)
28.04.2023

एसडी/
(तेजसिंह)
28.04.2023

एसडी/
(राजेन्द्रसिंह)
28.04.2023

<u>कार्यवाही पुलिस</u> <u>दिनांक 28.04.2023</u> <u>समय 01.30 पी.एम.</u>

इस समय परिवादी श्री सुनिल कुमार पुत्र श्री सुरेश कुमार उम्र 32 साल निवासी 405 श्री नवल नगर रातानाडा जोधपुर ने कार्यालय में उपस्थित हो उपरोक्त टाईपशुदा रिपोर्ट पेश की एवं दरियाफ्त् पर बताया कि श्री जगदीश प्रसाद सहायक उप निरीक्षक पुलिस बहुत ही शातिर दिमाग हैं जो अभी रातानाडा चौराहे के पास स्थित पार्क में डयुटी पर है। वही पर मेरे से मेरे पैण्डिंग कार्य की बात करेगा व रिश्वत की मांग करेगा उपरोक्त रिपोर्ट से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का पाया जाने से नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

एसडी/
सुनील कुमार

एसडी/
(डॉ दुर्ग सिंह राजपुरोहित)
अति.पुलिस अधीक्षक
28.04.2023

दिनांक 28.04.2023 को वक्त 02.00 पी.एम. पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री रामचन्द्र सिह कानि. नं. 432 को अपने कार्यालय कक्ष में तलब कर कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर कार्यालय की अलमारी से निकलवाकर परिवादी श्री सुनील कुमार को कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की विधि समझाईश की गई तथा श्री रामचन्द्र सिह कानि. का परिवादी श्री सुनील कुमार का आपस में परस्पर परिचय करवाया गया व श्री रामचन्द्र सिह कानि. व परिवादी श्री सुनील कुमार के मोबाईल नम्बर आपस में आदान–प्रदान करवाये गये। तत्पश्चात् वक्त 02.10 पी.एम. पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को खाली होना सुनिश्चित कर श्री रामचन्द्रसिंह कानि0 नम्बर 432 को सुपर्द कर परिवादी श्री सुनील कुमार व आरोपी श्री जगदीश प्रसाद सहायक उप निरीक्षक पुलिस के मध्य रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता करवाकर लाने हेतु आवश्यक हिदायत कर परिवादी श्री सुनील कुमार एवं श्री रामचन्द्र कानि0 नम्बर 432 को आवश्यक हिदायत के साथ जरिये परिवादी श्री सुनील कुमार की निजी मोटरसाईकिल से कार्यालय हाजा से परिवादी के बतायेनुसार रातानाडा चौराहे के पास स्थित पार्क जहां पर अभी जगदीश प्रसाद सहायक उप निरीक्षक पुलिस मंहगाई राहत कैम्प की ड्यूटी में है वहां के लिये रवाना किया गया। वक्त 02.40 पी.एम. पर श्री रामचन्दसिंह कानि. नम्बर 432 व परिवादी श्री सुनील कुमार मय परिवादी के मोटरसाईकिल से ब्यूरो कार्यालय स्पेशल युनिट में उपस्थित आये एवं श्री रामचन्दसिंह कानि0 नम्बर 432 ने ब्यूरो कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर स्वीच ऑफशुदा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया तथा परिवादी श्री सुनील कुमार ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि " मैं व रामचन्द्रसिंह कानि. ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर रातानाडा चौराहे पर स्थित पार्क जहां पर मंहगाई राहत कैम्प चल रहा है, के पास पहुचे। जहां पर श्री रामचन्द्रसिंह कानि. ने मुझे आवश्यक हिदायत देकर डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर मुझे सुपुर्द कर श्री जगदीश प्रसाद सहायक उप निरीक्षक पुलिस से रिश्वती राशि मांग की वार्ता करने हेतु पार्क के अन्दर रवाना किया। जिस पर मैं पार्क के अन्दर पहुचा जहां पर मुझे श्री जगदीश प्रसाद सहायक उप निरीक्षक पुलिस उपस्थित मिले जिनसे मेरे व मेरी लिव इन रिलेशनशिप श्रीमती पिंकी के विरूद्ध पुलिस थाना रातानाडा में दर्ज मारपीट के मुकदमें के संम्बध में वार्ता हुई दौराने वार्ता श्री जगदीश प्रसाद सहायक उप निरीक्षक पुलिस ने मेरे विरूद्ध दर्ज प्रकरण में मदद करने की एवज में मेरे से 8000/–रूपये रिश्वति राशि की मांग की व कहा कि मैं तो दस मांग रहा था लेकिन आठ कर दो कहा। साथ ही श्री जगदीश प्रसाद सहायक उप निरीक्षक पुलिस ने मुझे आज ही घन्टे – डेढ घन्टे में रिश्वती राशि लेकर पार्क में बुलाया है व कहा है कि आप शाम तक आ जाओ तुम्हे फ्री कर देंगे व अन्य के मुचलके भर देंगे। उक्त वार्ता डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है।" साथ ही उपस्थित कानिस्टेबल रामचन्द्रसिंह ने परिवादी के उक्त कथनों की ताईद की जिस पर डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड परिवादी व संदिग्ध श्री जगदीश प्रसाद सहायक उप निरीक्षक पुलिस की मांग वार्ता को सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये गये उपरोक्त कथनों की ताईद होकर रिश्वती राशि 8,000/रूपये की मांग की पुष्टि हुई। तत्पश्चात् वक्त 02.50 पी.एम. पर परिवादी श्री सुनील कुमार से आरोपी श्री जगदीश प्रसाद सहायक उप निरीक्षक पुलिस को दी जाने वाली रिश्वति राशि के बारे में पुछा गया तो श्री सुनील कुमार ने बताया अभी मेरे पास रूपये नही है मैं घर जाकर रिश्वति राशि 8,000/–रूपये की व्यवस्था करके आ जाउगा। जिस पर परिवादी श्री सुनील कुमार को रिश्वति राशि 8,000/–रूपये की व्यवस्था कर अविलम्ब कार्यालय हाजा पर उपस्थित आने एवं अब तक की कार्यवाही को गोपनीयता रखने की हिदायत देकर परिवादी श्री सुनील कुमार को कार्यालय से रूखस्त किया गया। तत्पश्चात् अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने से सहायक अभियन्ता ए–3 जोधपुर विधुत वितरण निगम लि0 जोधपुर के नाम पत्र कमांक 555 दिनांक 28.04.2023 जारी कर श्री अर्जुनसिह कानि. 319 को तहरीर सुपुर्द कर दो स्वतन्त्र गवाह लाने हेतु सहायक अभियन्ता ए–3 जोधपुर विधुत वितरण निगम लि0 जोधपुर के लिये रवाना किया गया। तत्पश्चात् वक्त 03.30.पी.एम. पर परिवादी श्री सुनील कुमार आरोपी को रिश्वति में दी जाने वाली रिश्वत राशि 8,000/रूपये की व्यवस्था कर कार्यालय हाजा पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित हुआ। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिगर राज कार्य में व्यस्त होने से कार्यालय हाजा के मन् राजेन्द्रसिह निरीक्षक पुलिस को अपने कार्यालय कक्ष में तलब कर परिवादी श्री सुनील कुमार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं अब तक की गई कार्यवाही के समस्त हालात बताये एवं साथ ही कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर जिसमें परिवादी श्री सुनील कुमार तथा आरोपी श्री जगदीश प्रसाद सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना रातानाडा आयुक्तालय जोधपुर के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय दस्तावेज सुरक्षित हालात में सम्भलाये गये एवं श्री सुनील कुमार का मन् राजेन्द्रसिह निरीक्षक पुलिस से आपसी परिचय करवाया गया तथा स्वतन्त्र गवाहान के उपस्थित आने पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया एवं एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस एसीबी जोधपुर को मय कानि. श्री छैलाराम के साथ ट्रेप कार्यवाही में सहयोग हेतु कार्यालय में उपस्थित आने हेतु जरिये दुरभाष निर्देशित किया गया। तत्बाद मन् राजेन्द्रसिह निरीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री सुनील कुमार की रिपोर्ट, कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर एवं परिवादी श्री सुनील कुमार को अपने साथ लेकर अपने कार्यलय कक्ष में आया व परिवादी श्री सुनील कुमार की टाइपशुदा लिखित रिपोर्ट का अवलोकन कर परिवादी श्री सुनील कुमार से आवश्यक पुछताछ कर कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर जिसमें परिवादी श्री सुनील कुमार तथा आरोपी श्री जगदीश प्रसाद सहायक उप निरीक्षक

पुलिस, पुलिस थाना रातानाडा आयुक्तालय जोधपुर के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है उक्त वार्ता को सुना गया तो रिश्वत राशि 8000/– रूपये मांग की पुष्टि होना पाया गया। उक्त मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट आईन्दा बनाने का निर्णय लेकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को मन् निरीक्षक पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखा। इसी दौरान पूर्व से पाबन्दशुदा श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय श्री छैलाराम कानि. नं. 46 मय श्री प्रेमसिंह कानि. चालक नं. 535 ब्यूरो चौकी जोधपुर से उपस्थित आये। तत्पश्चात् वक्त 03.50 पी.एम. पर श्री अर्जुनसिंह कानि. नं. 319 कार्यालय सहायक अभियन्ता ए–3 जोधपुर विधुत वितरण निगम लि0 जोधपुर से दो कार्मिक को लेकर कार्यालय में उपस्थित आया। जिनको मन् निरीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देकर दोनों कार्मिकों का परिचय पुछने पर उन्होने अपना परिचय श्री तेजसिह पुत्र श्री मवासीराम कोली उम्र 33 साल निवासी दारोदा पुलिस थाना खेड़ली जिला अलवर हाल तकनिकी सहायक कार्यालय सहायक अभियन्ता ए–3 जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर मोबाईल नम्बर 9694637041 व श्री महावीर पुत्र श्री देवलाल धाकड़ उम्र 40 साल निवासी बामन गांव तहसील नेनवा पुलिस थाना नेनवा जिला बूंदी हाल तकनिकी सहायक कार्यालय सहायक अभियन्ता ए–3 जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर मोबाईल नम्बर 7891920001 होना बताया। जिस पर उक्त दोनो कार्मिको को बुलाने के मंतव्य से अवगत करवाकर कार्यालय कक्ष में उपस्थित परिवादी श्री सुनील कुमार का आपसी परिचय दोनो कार्मिको से करवाया गया एवं परिवादी श्री सुनील कुमार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को पढकर सुनाई गई तथा दोनो कार्मिकों को पढवायी गयी व कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर जिसमें परिवादी श्री सुनील कुमार व आरोपी श्री जगदीश प्रसाद सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना रातानाडा आयुक्तालय जोधपुर के मध्य हुई रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता जो रिकार्ड है उक्त वार्ता के मुख्य–मुख्य अंश दोनो कार्मिको को सुनवाये गये। दोनो कार्मिको द्वारा परिवादी से उनके द्वारा प्रस्तुत शिकायत मे अंकित तथ्यों के बारे में पूछताछ कर एवं रिकार्ड वार्ता के मुख्य अंश सुनकर अग्रिम कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति दी। जिस पर परिवादी श्री सुनील कुमार की रिपोर्ट एवं दस्तावेजों पर दोनो स्वतंत्र गवाहान ने अपने अपने दिनांकित हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् वक्त 04.00 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री तेजसिंह व श्री महावीर के रू–ब–रू परिवादी श्री सुनील कुमार पुत्र श्री सुरेश कुमार उम्र 32 साल निवासी 405 श्री नवल नगर रातानाडा जोधपुर द्वारा आरोपी श्री जगदीश प्रसाद सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना रातानाडा पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहा गया जिस पर परिवादी श्री सुनील कुमार ने भारतीय मुद्रा के 2000–2000 रूपये के 3 नोट व 500–500 रूपये के 4 नोट कुल राशि 8,000/– रूपये पेश किये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत नोटों के नंबरो का विवरण निम्नानुसार है:–

1.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	8 CB688566
2.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	0 BA 216939
3.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	2 GM 977316
4.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1 AC 827984
5.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	9 CM 838394
6.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	9 DP 161683
7.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	6 BA 431799

श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से कार्यालय हाजा के मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी मंगवाकर उपरोक्त 8000/– रूपये के नोटों को अखबार के उपर रखवाकर नोटों पर हल्का–हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री सुनील कुमार की जामा तलाशी गवाह श्री तेजसिह से लिवाई जाकर मोबाईल 8529943679 परिवादी के पास रहने दिया गया। इसके अलावा कोई आपतिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफथलीन पाउडर युक्त 8,000/–रूपये जो आरोपी को दी जानी है, जिस पर श्रीमती सुशीला महिला कानि. से उक्त राशि 8,000/–रूपये पर हल्का–हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। तत्पश्चात रिश्वति राशि 8000/–रूपये श्रीमती सुशीला महिला कानि. से ही परिवादी श्री सुनील कुमार के पहनी हुई जिंस पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में रखवाया जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री सुनील कुमार को हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को रास्ते में नहीं छुऐ एवं आरोपी श्री जगदीश प्रसाद सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना रातानाडा पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर द्वारा मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि को जिंस पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब से निकाल कर उन्हें देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे एवं रिश्वत राशि का आदान प्रदान हो जाने पर गोपनीय ईशारा अपने सिर पर आगे से पीछे अपना हाथ फेर कर या अपने मोबाईल से मन् राजेन्द्रसिह निरीक्षक पुलिस भ्र.नि.ब्यूरो स्पेशल युनिट जोधपुर के मोबाईल नं. 9414169480 पर मिस कॉल करने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात् एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा जिसे सभी हाजरी ने घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल में श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 के हाथों की अंगुलियों

एवं अंगुठे डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया–प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में भली भांति समझाया गया। फिर नोटों पर पाउडर लगाने वाली श्रीमती सुशीला महिला कानि. से गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया एवं जिस अखबार पर रख कर नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था, उस अखबार को भी जलाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को पाउडर लगाने वाली श्रीमती सुशीला महिला कानि. से कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवायी गई। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करें। उपस्थित सभी जाब्ता एवं गवाहान की आपस में जामा तलाशी लिवाई जाकर उनके पास कोई आपतिजनक वस्तु एवं राशि नहीं रहने दी गई। सभी उपस्थितान के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। उक्त समस्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी रिश्वती राशि एवं दृष्टान्त फिनोफ्थेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि मुर्तिब की गई। वक्त 04.35 पी.एम. पर मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री सुनील कुमार को स्वयं मोटर साईकिल से व श्री रामचन्द्रसिंह कानि. नं. 432 को आवश्यक हिदायत के साथ रातानाडा चौराहा के पास स्थित पार्क की तरफ रवाना कर उनके पीछे–पीछे मन् निरीक्षक पुलिस राजेन्द्रसिंह, मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री तेजसिंह एवं श्री महावीर, मय ब्यूरो जाब्ता श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस, श्री मेघराज हैड कानि. नं. 63, श्री अर्जुनसिंह कानि. नं. 319, श्री छैलाराम कानि. नं. 46 के सरकारी वाहन टवेरा नं. आरजे 14 युसी 8795 मय कानि. चालक श्री प्रेमसिंह 535 व निजी वाहन एवं मोटर साईकिलों के ट्रेप बॉक्स, आवश्यक सामग्री, कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर, लैपटॉप मय प्रिन्टर के अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु कार्यालय भ्र.नि.ब्यूरो स्पेशल युनिट जोधपुर से रातानाडा चौराहा के पास स्थित पार्क की तरफ रवाना होकर वक्त 04.40 पी.एम. पर रातानाडा चौराहा के पास स्थित पार्क के पास पहुंचे। जहां पर परिवादी ने गोपनीय रूप से पता कर बताया कि आरोपी श्री जगदीश प्रसाद सहायक उप निरीक्षक पुलिस पार्क में नहीं है। वक्त 04.45 पी.एम.पर मन् निरीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री सुनील कुमार के मोबाईल नं. 8529943679 से आरोपी श्री जगदीश प्रसाद के मोबाईल 9460038855 पर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर वार्ता करवाई तो दौराने वार्ता आरोपी श्री जगदीश प्रसाद सहायक उप निरीक्षक पुलिस ने बताया कि शाम को छः–साढे छः थाने पर आना। उक्त वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड किया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमरायान के जरिये वाहनों के ब्यूरो चौकी स्पेशल युनिट जोधपुर के लिये रवाना होकर मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमरायान के ब्यूरो चौकी स्पेशल युनिट उपस्थित आये। तत्पश्चात् वक्त 06.50 पी.एम. पर परिवादी श्री सुनील कुमार ने गोपनीय रूप से पता कर मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि श्री जगदीश प्रसाद सहायक उप निरीक्षक पुलिस अभी पुलिस थाना रातानाडा में उपस्थित है। तत्पश्चात् वक्त 07.00 पी.एम. पर मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री सुनील कुमार को स्वयं मोटर साईकिल से व श्री रामचन्द्रसिंह कानि. नं. 432 को आवश्यक हिदायत के साथ पुलिस थाना रातनाडा जोधपुर की तरफ रवाना कर उनके पीछे–पीछे मन् निरीक्षक पुलिस राजेन्द्रसिंह, मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री तेजसिंह एवं श्री महावीर, मय ब्यूरो जाब्ता श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस, श्री मेघराज हैड कानि. नं. 63, श्री अर्जुनसिंह कानि. नं. 319, श्री छैलाराम कानि. नं. 46 के सरकारी वाहन टवेरा नं. आरजे आरजे 14 युसी 8795 मय कानि. चालक श्री प्रेमसिंह 535 व निजी वाहन एवं मोटर साईकिलों के ट्रेप बॉक्स, आवश्यक सामग्री, कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर, लैपटॉप मय प्रिन्टर के अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु कार्यालय भ्र.नि.ब्यूरो स्पेशल युनिट जोधपुर से पुलिस थाना रातानाडा की तरफ रवाना होकर वक्त 07.05 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस, परिवादी मय समस्त हमरायान के पुलिस थाना रातानाडा के पास पहुंचे। जहां पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा वाहनों को रोड़ के किनारे गोपनीय रूप से खड़ा करवाकर परिवादी श्री सुनील कुमार को आवश्यक हिदायत कर कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर श्री रामचन्द्रसिंह कानि. 432 से ऑन करवाकर परिवादी श्री सुनील कुमार को सुपुर्द कर आरोपी श्री जगदीश प्रसाद सहायक उप निरीक्षक पुलिस से रिश्वति राशि लेन–देन करने हेतु पुलिस थाना रातानाडा के लिये रवाना किया तथा मन् निरीक्षक पुलिस, स्वतन्त्र गवाहन एवं अन्य ब्यूरो जाब्ता ने पुलिस थाना रातानाडा के इर्द–गिर्द अपनी–अपनी पोजीशन लेकर परिवादी के गोपनीय ईशारे का इन्तजार किया। तत्पश्चात् वक्त 07.13 पी.एम. पर परिवादी श्री सुनील कुमार पुत्र श्री सुरेश कुमार उम्र 32 साल निवासी 405 श्री नवल नगर रातानाडा जोधपुर ने पुलिस थाना रातानाडा, पुलिस आयुक्तालय जोधपुर के मैन गेट पर आकर पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा

अपने सिर पर आगे से पीछे अपना हाथ फेर कर किया जिस पर मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस मय श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस उपरोक्त मौतबिरान एवं समस्त हमरायान ब्यूरो जाप्ता को साथ लेकर पुलिस थाना रातानाडा पुलिस आयुक्तालय जोधपुर के मैन गेट के सामने पहुंचे। जहां पर परिवादी श्री सुनील कुमार हाजिर मिला। जिस पर परिवादी श्री सुनील से मन् निरीक्षक पुलिस ने कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी श्री सुनील कुमार ने मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि श्री जगदीश प्रसाद सहायक उप निरीक्षक पुलिस ने मुझको मैन गेट के पास बने दो कमरों के बीच की गली में ले जाकर अभी-अभी मेरे से रिश्वति राशि 8000/–रूपये उनके हाथ में रखी पीले रंग की पत्रावली के अन्दर रखे खुले पेपर में उन्होने कहकर रखवाई है तथा वह अभी–अभी एच.एम. क्राईम रूम में पत्रावली लेकर गया है। जिस मन् निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरो जाब्ता मय स्वतन्त्र गवाहान मय परिवादी के पुलिस थाना रातानाडा के अन्दर प्रवेश हुए तथा पुलिस थाना परिसर में बने एच.एम. क्राईम रूम में पहुंचे। जहां पर परिवादी ने पुलिस वर्दी पहने हुए पीले रंग की पत्रावली हाथ में लिये हुए खड़े व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यही श्री जगदीश प्रसाद सहायक उप निरीक्षक पुलिस है जिन्होने अभी–अभी मेरे 8000/–रूपये रिश्वति राशि अपने हाथ में रखी पीले रंग की पत्रावली के अन्दर रखे खुले पेपर में रखवाई है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने पुलिस की वर्दी पहने दाहिने हाथ में पीले रंग की पत्रावली लेकर खड़े व्यक्ति को अपना एवं समस्त हमरायान का परिचय देकर उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होने अपना नाम श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री कृपाराम जाति खटीक उम्र 57 वर्ष निवासी खटीकों का बास पोकरण, पुलिस थाना पोकरण जिला जैसलमेर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना रातानाडा, पुलिस आयुक्तालय जोधपुर होना बताया। जिस पर ब्यूरो जाब्ते से उनके हाथ कलाई के उपर से पकड़वाकर पुलिस थाने परिसर में बने डी.ओ. रूम में लेकर आये। जहां पर मन् निरीक्षक पुलिस ने रूबरू गवाहान, ब्यूरो जाब्ता एवं परिवादी के समक्ष श्री जगदीश प्रसाद सहायक उप निरीक्षक पुलिस से पास ही खड़े परिवादी श्री सुनील कुमार की तरफ ईशारा कर पुछा की क्या आप इन्हें जानते हो? तो श्री जगदीश प्रसाद सहायक उप निरीक्षक पुलिस ने बताया कि मैं इन्हे जानता हूं, यह श्री सुनील कुमार है इनके खिलाफ इस थाने में मारपीट का मुकदमा नं. 108/2023 दर्ज हो रखा है जिसका अनुसंधान मैं कर रहा हूं। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने अभी–अभी परिवादी श्री सुनील कुमार से 8000/–रूपये रिश्वति राशि लेने के सम्बन्ध में पुछा तो श्री जगदीश प्रसाद सहायक उप निरीक्षक पुलिस कुछ देर मौन रहा। इस पर परिवादी श्री सुनील कुमार ने बताया श्री जगदीश प्रसाद सहायक उप निरीक्षक पुलिस कुछ समय पहले मुझसे 8000/–रूपये अपने हाथ में रखी पीले रंग की पत्रावली को खोलकर उसमें रखे खुले पेपर में रखने को कहा है, जिस पर मैंने उक्त रिश्वति राशि 8000/–रूपये इस पत्रावली में रखे खुले पेपर में रखी। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने श्री जगदीश प्रसाद सहायक उप निरीक्षक पुलिस को उक्त रिश्वति राशि 8000/–रूपये लेने के बारे में पुनः पुछा गया तो श्री जगदीश प्रसाद सहायक उप निरीक्षक पुलिस ने कहा कि मैंने श्री सुनील कुमार के खिलाफ दर्ज मारपीट के मुकदमें में मदद करने की ऐवज में उक्त राशि 8000/–रूपये मेरे दाहिने हाथ में रखी प्रकरण संख्या 108/2023 की पत्रावली के अन्दर खुले पेपर में श्री सुनील कुमार से कहकर रखवाई हैं साहब मेरे से गलती हो गई । तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री जगदीश प्रसाद सहायक उप निरीक्षक पुलिस के दाहिने हाथ में रखी पीले रंग की पत्रावली को श्री जगदीश प्रसाद से ही खुलवाई गई तो पत्रावली के अन्दर खुले पेपर जिस पर न्यायालय में उपस्थिति हेतु बन्ध पत्र और जमानत पत्र अंकित है के अन्दर 2000–2000 रूपये व 500–500 रूपये नोट दिखाई दिये। जिसको गवाह श्री तेजसिंह से उठवाई जाकर गिनवाई गई तो 2000–2000 रूपये के 3 नोट व 500-500 रूपये के 4 नोट कुल राशि 8000/–रूपये होना पाई गई। जिस पर गवाह श्री महावीर को पूर्व में मुर्तिबाशुदा फर्द पेशकशी रिश्वती राशि दी जाकर बरामदा रिश्वती राशि के नोटों के नम्बरो का मिलान फर्द पेशकशी में अंकित नोटो के नम्बरों से करवाया गया तो नोटो के नम्बर हूबहू होना पाये गये। उक्त भारतीय मुद्रा 8000/–रूपये को बतौर वजह सबूत कपड़े के टुकड़े के साथ सील चिट कर कपड़े के टुकड़े पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये। उक्त पीले रंग की पत्रावली के अन्दर रखा न्यायालय में उपस्थिति हेतु बन्ध पत्र और जमानत पत्र के खुले पेपर में से रिश्वति राशि 8000/–रूपये बरामद हुई उक्त न्यायालय में उपस्थिति हेतु बन्ध पत्र और जमानत पत्र के खुले पेपर का धोवन लेने हेतु दोनों स्वतन्त्र गवाहान के रूबरू एक कॉच के नये साफ गिलास में साफ पानी भरवाया गया। उक्त गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाया गया तो उक्त गिलास के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिसे सभी उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया गया। तत्पश्चात ट्रैप बॉक्स से सफेद कपड़े की चिन्दी निकलवाकर कर रिश्वती राशि बरामदगी स्थल पीले रंग की पत्रावली के अन्दर रखा न्यायालय में उपस्थिति हेतु बन्ध पत्र और जमानत पत्र के खुले पेपर जहां से

रिश्वती राशि 8000/–रूपये बरामद हुई, पर दो–तीन बार रगड़ कर उक्त तैयार रंगहीन घोल में डुबोंया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितान ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग–अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर चस्पा पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगणों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों के चस्पे पर मार्क पी–1 व पी–2 अंकित किया गया। उक्त धोवन में प्रयुक्त सफेद कपड़े की चिन्दी को पंखे की हवा में सुखाया जाकर चिन्दी पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने हस्ताक्षर कर सम्बन्धितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा चिन्दी को एक कपड़े की थैली में डालकर उक्त थैली की सिलाई कर उस पर प्रकरण का विवरण अंकित कर शील्ड मौहर किया गया एवं थैली पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने हस्ताक्षर कर सम्बन्धित गणों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात रिश्वती राशि बरामदगी स्थल पीले रंग की पत्रावली के अन्दर रखा न्यायालय में उपस्थिति हेतु बन्ध पत्र और जमानत पत्र के खुले पेपर जहां से रिश्वती राशि 8000/–रूपये बरामद हुई उक्त खुले पेपर पर मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने हस्ताक्षर कर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाकर उसको एक कपड़े की थैली में डालकर उक्त थैली की सिलाई कर उस पर प्रकरण का विवरण अंकित कर शील्ड मौहर किया गया एवं थैली पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने हस्ताक्षर कर सम्बन्धित गणों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री जगदीश प्रसाद सहायक उप निरीक्षक पुलिस से पुनः परिवादी के पैण्डिंग मुकदमें की पत्रावली के सम्बन्ध में पुछा तो श्री जगदीश प्रसाद सहायक उप निरीक्षक पुलिस ने बताया कि मेरे हाथ से जो पत्रावली ली है यही पत्रावली मुकदमा नं. 108/2023 की पत्रावली है जिसमें श्री सुनील कुमार के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज है। जिस पर उक्त पत्रावली का अवलोकन किया तो उक्त पत्रावली पुलिस थाना रातानाडा, पुलिस आयुक्तालय जोधपुर पूर्व के अपराध संख्या 108/2023 अन्तर्गत धारा 143, 323, 341, 34 भा.द.सं. विरूद्ध श्री सुनील कुमार व अन्य के खिलाफ दर्ज होने की है। जिसमें उक्त प्रकरण का अनुसंधान श्री जगदीश प्रसाद कलाल सहायक उप निरीक्षक के जिम्मे किया हुआ है। पत्रावली मे श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री गुलाब जी के 161 सीआरपीसी के बयान, श्री ओम कुमार पुत्र श्री गुलाब का चोट प्रतिवेदन एवं घटना स्थल का नक्शा मौका शामिल है। जिस पर प्रकरण संख्या 108/2023 अन्तर्गत धारा 143, 323, 341, 34 भा.द.सं. पुलिस थाना रातानाडा पुलिस आयुक्तालय जोधपुर पूर्व की मुल पत्रावली पृष्टांकित करवाई तो उक्त पत्रावली में पृष्ट संख्या 1 से 19 तक होना पाये गये उक्त मूल पत्रावली के प्रथम व अन्तिम पृष्ट पर मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने हस्ताक्षर कर स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर मूल पत्रावली कब्जा ब्यूरो ली गई। आईन्दा थानाधिकारी पुलिस थाना रातानाडा को तलब कर उक्त पत्रावली की फोटो प्रतियां थानाधिकारी से प्रमाणित करवाई जाकर प्रकरण की मूल पत्रावली थानाधिकारी पुलिस थाना रातानाडा को लौटाई जावेगी। ततपश्चात आरोपी श्री जगदीश प्रसाद सहायक उप निरीक्षक पुलिस पुलिस थाना रातानाडा की जामा तलाशी गवाह श्री तेजसिंह से लिवाई उनके पहनी हुई पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में नीले रंग का वीवो कम्पनी का एक मोबाईल फोन मिला जिस पर काले रंग का कवर चढा हुआ है उक्त विवो कम्पनी के मोबाईल के आईएमईआई नम्बर 1. 866767041106557 2. 866767041106540 जिसमें एक जीयो कम्पनी की सिम नम्बर 9460038855 पाई गई, दुसरी सिम के सम्बन्ध में आरोपी श्री जगदीश प्रसाद से पुछा गया तो उसने बताया कि दुसरी सिम बीएसएनएल कम्पनी की जिसके नम्बर मुझे याद नहीं है। उक्त वीवो कम्पनी का मोबाईल फोन कार्यवाही में वांछित होनें के कारण कब्जा ब्यूरों लिया गया। उक्त समस्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं रिश्वत राशि बरामदगी स्थल का धोवन मुर्तिब की गई। तत्पश्चात् वक्त 11.20 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री कृपाराम जाति खटीक उम्र 57 वर्ष निवासी खटीकों का बास पोकरण, पुलिस थाना पोकरण जिला जैसलमेर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना रातानाडा, पुलिस आयुक्तालय जोधपुर को उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात वक्त 11.55 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मौके की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के कारण परिवादी को दिनांक 29.04.2023 को प्रातः 08.00 ए.एम. ब्यूरो कार्यालय स्पेशल युनिट जोधपुर पर उपस्थित आने हेतु पाबन्द कर रूखस्त किया गया। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस मय गिरफ्तार शुदा मुलजिम के समस्त हमरायान व फर्दातनुसार मालखाना आईटम, रिश्वति राशि 8000/–रूपये एवं ट्रेप सामग्री को साथ लेकर मय सरकारी वाहन, निजी वाहन एवं मोटर साईकिलों के पुलिस थाना रातानाडा से ब्यूरो चौकी स्पेशल युनिट जोधपुर के लिये रवाना होकर दिनांक 29.04.2023 को वक्त 12.05 ए.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमरायान के ब्यूरो चौकी स्पेशल युनिट जोधपुर पहुंचे। प्रकरण के प्रार्दश बरामदगी स्थल का धोवन की शील्डशुदा शीशीयां मार्क पी–1, पी–2, शील्डचिट रिश्वति राशि 8000/–रूपये, रिश्वति राशि बरामदगी स्थल के धोवन में प्रयुक्त सफेद कपड़े की चिन्दी का शील्डशुदा पैकेट, रिश्वती राशि बरामदगी स्थल पीले रंग की पत्रावली के अन्दर रखा न्यायालय में उपस्थिति हेतु बन्ध पत्र और

ज़मानत पत्र के खुले पेपर का शील्डशुदा पैकेट एवं नीले रंग का वीवो कम्पनी का एक मोबाईल फोन जिस पर काले रंग का कवर चढा हुआ खुली हालत में मालखाना प्रभारी श्री मेघराज हैड कानि. को सुरक्षित हालात में सम्भलाया जाकर जमा मालखाना करवाया गया। तत्पश्चात् दोनो स्वतन्त्र गवाहान को प्रातः 08.00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित आने के लिये पाबन्द कर रूखस्त किया गया तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री जगदीश प्रसाद सहायक उप निरीक्षक पुलिस का स्वास्थ्य परीक्षण करने हेतु प्रभारी सैटेलाईट अस्पताल पावटा जोधपुर के नाम एवं आरोपी को सुरक्षित हवालात में रखने हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना उदयमन्दिर आयुक्तालय, जोधपुर के नाम तहरीर जारी कर गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री जगदीश प्रसाद का स्वास्थ्य परीक्षण एवं उदयमन्दिर की सुरक्षित हवालात में जमा कराने हेतु श्री अयुब खां उप निरीक्षक पुलिस, श्री देवाराम कानि. नं. 373, श्री अर्जुनसिंह कानि. नं. 319 को जरिये तहरीर राजकीय सैटेलाईट अस्पताल पावटा जोधपुर के लिये सरकारी टवेरा मय चालक के रवाना किया जो वक्त 12.50 ए.एम. पर श्री अयुब खा सहायक उप निरीक्षक पुलिस हमराह ब्यूरो जाब्ता के आरोपी श्री जगदीश प्रसाद सहायक निरीक्षक पुलिस का बाद स्वास्थ्य परीक्षण के पुलिस थाना उदयमन्दिर की सुरक्षित हवालात में जमा कराकर आरोपी की रात्रि निगरानी हेतु श्री अर्जुनसिंह कानि. नं. 319 की मामूर कर ब्यूरो चौकी उपस्थित आये। दिनांक 29.04.2023 को वक्त 08.30 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्दशुदा परिवादी श्री सुनील कुमार व स्वतन्त्र गवाहान श्री तेजसिंह व श्री महावीर उपस्थित आये। तत्पश्चात् वक्त 09.15 ए.एम. पर मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस हमराह स्वतंत्र गवाहान श्री तेजसिंह, श्री महावीर, परिवादी श्री सुनील कुमार, ब्यूरो जाब्ता श्री अयुब खा सहायक उप निरीक्षक पुलिस को साथ लेकर घटना स्थल का निरीक्षण करने हेतु पुलिस थाना रातानाडा जरिये सरकारी वाहन मय चालक के रवाना होकर पुलिस थाना रातानाडा पहुंचे। वक्त 09.30 ए.एम. पर रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी श्री सुनील कुमार की निशादेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका एवं हालात मन् निरीक्षक पुलिस के निर्देशन में श्री अयुब खां सहायक उप निरीक्षक पुलिस की हस्तलिपि में मुर्तिब किया गया। फर्द पर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये। ताबाद समस्त हमरायान के जरिये सरकारी वाहन ब्यूरो कार्यालय स्पेशल युनिट के लिये रवाना होकरवक्त 09.55 ए.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस हमराह दोनो स्वतन्त्र गवाह एवं परिवादी, मय ब्यूरो जाब्ता मय सरकारी वाहन मय चालक के घटना स्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका मुर्तिब कर ब्यूरो कार्यालय स्पेशल युनिट जोधपुर उपस्थित आये। तत्पश्चात् वक्त 10.00 ए.एम. पर परिवादी श्री सुनील कुमार एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री तेजसिंह व श्री महावीर की उपस्थिति में दिनांक 28.04.2023 को परिवादी श्री सुनील कुमार एवं आरोपी श्री जगदीश प्रसाद सहायक उप निरीक्षक पुलिस के मध्य रिश्वती राशि मांग सत्यापन की रूबरू हुई वार्तालाप जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है। उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर मन् निरीक्षक पुलिस की सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर रिकार्डर को मेरे निर्देशन में एवं मौजुदगी में कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री देवराम कानि. नं. 373 द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर रुबरु मौतबिरान व परिवादी के सुन–सुन कर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन तैयार की जाकर, फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता में परिवादी श्री सुनील कुमार ने अपनी व श्री जगदीश प्रसाद सहायक उप निरीक्षक पुलिस की आवाज होने की पहचान की। उक्त वार्तालाप की विभागीय कम्प्यूटर की मदद से तीन सीडीयां तैयार की। एक सीडी को मूल मानते हुए कपड़े की थैली में डालकर कपड़े की थैली को शील्ड मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये। दो सीडीयों को डब मानते हुए खुला ही रहने दिया गया। उक्त तीनो सीडीयों को मालखाना प्रभारी श्री मेघराज हैडकानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई। ताबाद वक्त 11.30 ए.एम. पर परिवादी श्री सुनील कुमार एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री तेजसिंह व श्री महावीर की उपस्थिति में दिनांक 28.04.2023 को परिवादी श्री सुनील कुमार एवं आरोपी श्री जगदीश प्रसाद सहायक उप निरीक्षक पुलिस के मध्य रिश्वति राशि लेन–देन से पूर्व मोबाईल पर हुई वार्तालाप एवं वक्त रिश्वती राशि लेन–देन परिवादी श्री सुनील कुमार एवं आरोपी श्री जगदीश प्रसाद सहायक उप निरीक्षक के मध्य हुई रूबरू वार्तालाप जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है। उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर मन् निरीक्षक पुलिस की सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर रिकार्डर को मेरे निर्देशन में एवं मौजुदगी में कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री देवराम कानि. नं. 373 द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर रुबरु मौतबिरान व परिवादी के सुन–सुन कर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वत राशि लेन–देन तैयार की जाकर, फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ताओं में परिवादी श्री सुनील कुमार ने अपनी व श्री जगदीश प्रसाद सहायक उप निरीक्षक पुलिस की आवाज होने की पहचान की। उक्त वार्तालाप की विभागीय कम्प्यूटर की मदद से तीन सीडीयां तैयार की। एक सीडी को मूल मानते हुए कपड़े

थैली में डालकर कपड़े की थैली को शील्ड मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये। दो सीडीयों को डब मानते हुए खुला ही रहने दिया गया। उक्त तीनो सीडीयों को मालखाना प्रभारी श्री मेघराज हैडकानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई। ताबाद बाद कार्यवाही परिवादी श्री सुनील कुमार व स्वतन्त्र गवाहान श्री तेजसिंह व श्री महावीर को कार्यालय से रूखस्त किया।

अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया कि दिनांक 28.04.2023 को वक्त रिश्वति राशि मांग सत्यापन करवाया गया तो आरोपी श्री जगदीशप्रसाद स.उ.नि.पु. पुलिस थाना रातानाडा ने परिवादी से परिवादी व पिंकी के विरूद्ध मारपीट का दर्ज मु.न. 108/2023 धारा 143, 323, 341 /34 भा.द.सं. पुलिस थाना रातानाडा में मदद करने की एवज में पहले तो अन्य व्यक्ति के माध्यम से 10,000/– रूपये रिश्वत की मांग करना तथा उस अन्य व्यक्ति द्वारा कहने पर बाद में 8000/– रूपये लेने पर सहमत होकर घण्टे–डेढ घंटे बाद बुलाना पाया गया। जिस पर दिनांक 28.04.2023 को पुलिस निरीक्षक श्री राजेन्द्रसिंह मय ब्यूरो जाब्ता मय स्वतन्त्र गवाह मय परिवादी सुनील कुमार के साथ ट्रेप का आयोजन कर थाना रातानाडा की तरफ रवाना किया गया। दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री जगदीश प्रसाद सउनिपु ने पुलिस थाना रातानाडा पर दर्ज मुकदमा नं. 108/2023 अन्तर्गत धारा 143, 341/34 आईपीसी में परिवादी व उसकी लिव इन रिलेशन श्रीमति पिंकी की मदद करने की ऐवज में 8000/–रूपये रिश्वति राशि थाना परिसर रातानाडा जोधपुर में अपने हाथ में पकडी पीले रंग के कवर की मुकदमा नं. 108/2023 की पत्रावली खेलकर उसमें रखे न्यायालय में उपस्थित होने हेतु एक खाली बन्ध पत्र व जमानत पत्र खुले पेपर में रखने का कहा। जिस पर परिवादी ने पत्रावली में रिश्वत राशि रखी। जहॉ से स्वतन्त्र गवाहो के समक्ष पत्रावली में बन्ध पत्र व जमानत पत्र के खुले पेपर में रखे रिश्वति राशि 8000/– रूपये बरामद की गई। इस प्रकार आरोपी श्री जगदीश प्रसाद स.उ.नि.पु. द्वारा परिवादी के विरूद्ध दर्ज मु.न. 108/2023 में मदद करने की एवज में पहले तो अन्य व्यक्ति के माध्यम से 10,000/– रूपये रिश्वत की मांग करना, अन्य व्यक्ति द्वारा सिफारिश करने पर रिश्वत के 8000/– रूपये लेने पर सहमत होना, वक्त ट्रेप परिवादी श्री सुनील कुमार से 8000/– रूपये थाना परिसर में ही बुलाकर परिवादी के विरूद्ध दर्ज मु.न. 108/2023 की अनुसंधान पत्रावली में न्यायालय में उपस्थित होन हेतु बन्ध पत्र व जमानत पत्र के खुले कागज में रखवाना, आरोपी श्री जगदीश प्रसाद सउनिपु के हाथ में मु.न. 108/2023 की अनुसंधान पत्रावली में न्यायालय में उपस्थित होन हेतु बन्ध पत्र व जमानत पत्र के बिच खुले कागज में रखे रिश्वत के 8000/– रूपये बरामद होना, पत्रावली में रिश्वति राशि रखे न्यायालय में उपस्थित होन हेतु बन्ध पत्र व जमानत पत्र पर कपडे की चिन्दी रगड कर धोवन लेने पर धोवन का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी होना पाया पाया गया। इत्यादि तथ्यो से आरोपी श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री कृपाराम खटीक जाति खटीक उम्र 57 वर्ष निवासी खटीको का बास, पोकरण जिला जैसलमेर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना रातानाडा पुलिस आयुक्तालय, जोधपुर के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 प्रथम दृष्टया कारित करना प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपी श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री कृपाराम खटीक जाति खटीक उम्र 57 वर्ष निवासी खटीकों का बास पोकरण, पुलिस थाना पोकरण जिला जैसलमेर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना रातानाडा, पुलिस आयुक्तालय जोधपुर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।

भवदीय

(राजेन्द्रसिंह)
निरीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
स्पेशल यूनिट, जोधपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, जोधपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में आरोपी श्री जगदीश प्रसाद, सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना रातानाडा, पुलिस आयुक्तालय, जोधपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 101/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

29.4.23

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 775-78 दिनांक 29.04.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. पुलिस आयुक्त, आयुक्तालय, जोधपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
4. अतितिरक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू., जोधपुर।

29.4.23

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।